संख्या-01/2019/4062 ई-2/तेरह-2018-89/2006

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 जनवरी,2019

विषयः-मेसर्स त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इण्ड0लि0, शुगर यूनिट साबितगढ़ पोस्ट करौरा तहसील खुर्जा, बुलन्दशहर में 160 किली0 प्रतिदिन क्षमता की औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन हेतु आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-83/दो-प्रा0डी0-201/आसवनी स्थापना, दिनांक 04 नवम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी-99/दो-प्रा0डी0-201/आसवनी स्थापना, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के औद्योगिक हित एवं राजस्वहित के दृष्टिगत मेसर्स त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इण्ड0लि0, शुगर यूनिट साबितगढ़ पोस्ट करौरा तहसील खुर्जा, बुलन्दशहर को 160 किली0 प्रतिदिन क्षमता अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 528 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की आसवनी, जिसमें बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति एतद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से क्लियरेन्स व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in